फोन/Phone: 91-22-6656 5656
ई-मेल/Email: manager.hr@mumbaiport.gov.in
वेबसाईट/Website:www.mumbaiport.gov.in

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority

सामान्य प्रशासन विभाग
पोर्ट भवन, दूसरा माला
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,
मुंबई - 400 001.

General Administration Department,
Port House, 2nd floor,
S.V. Marg, Ballard Estate,
MUMBAI - 400 001.

No.GAD/P/RECT-CMO/ 3117 — 12th September 2024

Recruitment Notice

The Chairperson
All Major Port Authorities

Sir/ Madam,

Sub: Filling up the post of Chief Medical Officer (HOD) by absorption through composite method in Mumbai Port Authority.

....

The post of Chief Medical Officer (HOD) in Mumbai Port Authority is vacant w.e.f. 18.8.2023. The post is in the pay scale of Rs.100000-260000 (pre-revised Rs.43200-66000/ Rs.18500-23900). The post is to be filled by absorption through composite method from officers of Major Port Authorities, fulfilling the eligibility criteria as per **Annexure - I**.

2. The selection is by merit for which overall grading in the APARs should not be below "Very Good".

3. The incumbent will be initially appointed to the HoD post in the scale of pay of Rs.100000-260000 (pre-revised Rs.43200-66000/ Rs.18500-23900) and after completion of three years' regular service in the post, he/ she will be elevated to the scale of pay of Rs.120000-280000 (pre-revised Rs.51300-73000/ Rs.20500-26500) subject to fulfilling the relevant conditions as per the Ministry's guidelines vide letter dated 19.11.2019. It may be noted that any changes as directed by the Ministry from time to time, will automatically be made applicable.

4.1 Applications are invited from eligible and willing officers of all the Major Port Authorities possessing the prescribed qualifications, experience and other conditions, for the post of Chief Medical Officer in the pay scale of Rs.100000-260000 as per **Annexure-I**. The application may be submitted through "Online Application Portal (OAP)" of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways website http://onlinevacancy.shipmin.nic.in from **17.9.2024 to 16.10.2024.** No application other than OAP shall be accepted.

4.2 The candidate will have to submit the printout of application form already uploaded in OAP to his administrative Port for onward forwarding. The administrative Ports are required to forward the applications of the candidates alongwith the following documents on or before **31.10.2024**

superscribing **"Application for the post of Chief Medical Officer in Mumbai Port Authority"**:

(i) certified copies of APARs for the last 5 years (1.4.2018 to 31.3.2023), duly attested by an officer not below the rank of Dy. HOD on each of the pages;

(ii) a statement showing year-wise availability of APARs and grading duly signed by the Dy. Chairperson/ Chairperson as per the Ministry's letter dated 1.2.2007. If APAR for a particular year during the last 5 years is not available, "No Report Certificate" may be furnished alongwith APARs of the preceding years;

(iii) attested photocopies of all certificates and proof of educational qualification, present and past work experience in the respective post and pay scale.

(iv) No Objection Certificate from the respective Port.

(v) Undertaking of the applicant to the effect that candidature will not be withdrawn, if selected by Services Selection Committee; and

(vi) Vigilance and Administrative clearance of the concerned Port, as per enclosed proforma **(Annexure –II)**.

(vii) Two passport size photographs.

5.1 As per the Ministry's guidelines dated 26.9.2019, in case of receipt of advance copy of application in respect of any applicant by the Port, candidature of the candidate will not be considered by the Ministry if his application is not received through proper channel by the Port **within 15 days** of the last date of receipt of applications.

5.2 Further, the Ministry vide letter dated 20.9.2022 has issued the advisory in continuation to its earlier guidelines dated 26.9.2019 regarding filling up the HOD level posts in Major Port Authorities wherein it is inter-alia stated that-

"In this connection, it is to be clarified that certain documents viz. obtaining vigilance clearance, APARs of the candidate may take some time due to administrative formalities. In such scenario, the ports need to forward the application of the officer with the approval of the competent authority (i.e. through proper channel) to the port which has issued advertisement before due date of submission of application. Such applications through proper channel (even though without APARs, Vigilance etc.) will be taken into consideration by the Ministry for appointment to HOD level posts. However, for consideration of candidature of the candidate by the Selection Committee, the Ports are required to forward the remaining documents without unnecessary delay.

At various instances, the Ports forward the applications of the candidates in the last hours. Thus, it becomes impossible for the applications to reach the Port that issued advertisement before due

date of submission. In such cases, the ports are required to forward his/her application (through proper channel i.e. forwarding of the Port alongwith printout of OAP application) via email so that the candidature of the candidate could be considered for the post. Subsequently, the complete application of the candidate alongwith other documents may be forwarded by the Port by registered Post to the Port that issued advertisement."

6. The crucial date for eligibility criteria will be the last date of closing of applications on OAP, i.e.**16.10.2024**, in terms of Ministry of Shipping's circular No.I-26/25/2013 PE-I dated 26.9.2019.

7. If any major or minor penalty has been imposed on the applicant during the last 10 years, the disciplinary case leading to such penalty alongwith necessary documents may be sent by the forwarding authority along with the application. Vigilance report is to be furnished in the format prescribed, vide Ministry's letter No.A-12023/2/2021-PE-I dated 20.1.2021, copy of which is attached as **Annexure–III.**

8. As per the Ministry's guidelines dated 26.9.2019 regarding filling up the HoD level posts in Major Port Authorities, Port official, who withdraws his/ her candidature for the post after selection by the Service Selection Committee, will be liable for debarment from future selection to HOD level posts in all Major Port Authorities for a period of two years.

9. Incomplete applications or applications not made following the stated procedure or received after due date will not be considered.

Yours faithfully,

(G. S. Rathod)
MANAGER (HR)

DA: As above.

ANNEXURE I

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/ absorption/ deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/ absorption/ deputation)	In case of promotion/ absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
82	Chief Medical Officer	1	Class-I	*1* Rs.100000-260000 (the pay scale will be elevated to the scale of pay of Rs.120000-280000 after three years regular service with the approval of Central Government.	Selection	50	<u>Essential</u>: (i) MBBS degree from a recognised university. (ii) A post-graduate medical degree from a recognised university. (iii) Post-qualification experience of 16 years in a hospital.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	**By absorption** through composite method failing which **by deputation** and failing both **by direct** recruitment.	*1* **For absorption** through composite method, officers holding posts in the scale of pay of Rs. 80000-220000 with three years regular service in the Medical Department in a Major Port Trust shall be eligible. **For deputation,** officer holding analogous posts or officer holding posts of Chief Medical Officer and equivalent post in Medical Deptt. in scale of pay of Rs.18500-23900 (revised Rs.100000-260000) with 2 years regular service in the grade or officers holding post of Sr. Dy. Chief Medical Officer and equivalent specialist posts in the scale of pay of Rs.16000-20800 (revised Rs.80000-220000) and above in Medical Deptt. with 5 years regular service in the grade in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies *2* (other than Major Port Trust) will be eligible. The Selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below Very Good'.	

ANNEXURE II

Certificate to be given by Head of Office

Shri/Smt. ____________________

Designation____________________

1. It is certified that the particulars furnished by the officer are correct.

2. It is certified that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the applicant and he/she is clear from Vigilance and Administrative angle.

3. His/ Her integrity is certified.

4. It is certified that no major/minor penalties have been imposed on the applicant during the last 10 years. If any, kindly indicate details thereof.

5. Attested copies of ACRs for the last five years (1.4.2018 to 31.3.2023) are enclosed.

6. It is certified that the incumbent meets the requisite eligibility criteria w.r.t. educational qualification and experience as specified in the Annexure I of the circular for absorption through composite method.

SIGNATURE OF THE DY. CHAIRPERSON/
CHAIRPERSON WITH SEAL

Format III

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
MUMBAI PORT AUTHORITY

Particulars of the officer for whom Vigilance Comments/Status has been sought

1	Name of Officer (in full)	:	
2	Father's name	:	
3	Date of Birth	:	
4	Date of Retirement	:	
5	Date of entry into service	:	
6	Service to which the officer belongs wherever applicable	:	
7	Revised Payscale	:	
8	Whether Annual Property Return (APR) has been submitted in time	:	Yes / No
9	Date of submission of APR	:	

10. Positions held **including whether the officer has functioned as a CVO in part time or additional charge capacity** (during the ten preceding years)

Sl. No.	Organization (Name in full)	Designation and Place of posting	Administrative/ Nodal Ministry/ Deptt.	From	To

11	Whether any punishment was awarded to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of the penalty.(*)	:	
12	Is any disciplinary / criminal proceedings or Chargesheet pending against the officer as on date (If so, details to be furnished – including reference number if any of the commission)	:	
13	Is any action contemplated against the officer as on date (If so details to be furnished) (*)	:	
14	Whether any complaint with vigilance angle pending against the officer as on date (If yes, details to be furnished)	:	

Date:

(Signature of Head of Department)

15	Whether the officer has been placed on the "Agreed List" or "List of Officers of Doubtful Integrity".(If yes details to be given)	:	
16	Whether any allegation of misconduct involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 years and if so, with what result (*)	:	

The officer is cleared/not cleared from vigilance angle as per the guidelines of DoPT/CVC issued from time to time.

Date :

CHIEF VIGILANCE OFFICER

(*) If vigilance clearance had been obtained from the Ministry/CVC in the past, the information may be provided for the period thereafter.

फोन/Phone: 91-22-6656 5656
ई-मेल/Email: manager.hr@mumbaiport.gov.in
वेबसाईट/Website:www.mumbaiport.gov.in

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority

सामान्य प्रशासन विभाग
पोर्ट भवन, दूसरा माला
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,
मुंबई - 400 001.

General Administration Department,
Port House, 2nd floor,
S.V. Marg, Ballard Estate,
MUMBAI - 400 001.

सं.सा.प्र.वि/पी/भर्ती-मुचिअ/ 3117 — 12 सितंबर 2024

भर्ती सूचना

अध्यक्ष,
सभी महापत्तन प्राधिकरण

महोदय/ महोदया,

विषय : मुंबई पत्तन प्राधिकरण में मिश्रित पद्धति के जरिए समावेशन द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विभाग प्रमुख) का पद भरना.

मुंबई पत्तन प्राधिकरण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद दि. 18.8.2023 से रिक्त है. पद वेतनमान रुपये 100000-260000 (पूर्व-संशोधित रुपये 43200-66000/ 18500-23900) में है. यह पद मिश्रित पध्दति के जरिए समावेश करके महा पत्तन प्राधिकरणों के अधिकारियों से भरा जाना है, जिसके लिए आवश्यक पात्रता मानदंड **अनुलग्नक- I** में है.

2. चयन प्रक्रिया योग्यता के अनुसार होगी, जिसके लिए एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग "बहुत अच्छा" से कम नहीं होनी चाहिए.

3. पदधारी को शुरु में रुपये 100000-260000 (पूर्व संशोधित रुपये 43200-66000/ रुपये 18500-23900) के वेतनमान में विभाग प्रमुख के पद पर नियुक्त किया जायेगा और पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद उसे रुपये 120000-280000 (पूर्व संशोधित रुपये 51300-73000/ रुपये 20500-26500) के वेतनमान पर उन्नयित किया जाएगा. बशर्ते उन्होंने दि.19.11.2019 के मंत्रालय के पत्र के दिशा-निर्देशोंनुसार संबंधित शर्ते पूरी की है. यह ध्यान रखा जाए कि समय-समय पर मंत्रालय द्वारा निर्देशित किसी भी परिवर्तन को अपने आप लागू किया जाएगा.

4.1 रुपये 100000-260000 के वेतनमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए **अनुलग्नक- I** के अनुसार निर्धारित योग्यता, अनुभव और अन्य शर्तों के धारक सभी महा पत्तन प्राधिकरणों के पात्र और इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. आवेदन **17.9.2024 से 16.10.2024** तक पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाईट http://onlinevacancy.shipmin.nic.in के "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. ओएपी के अलावा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

4.2 उम्मीदवार को ओएपी में पहले से अपलोड किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआऊट अपने प्रशासनिक पोर्ट के पास अग्रेषित करने हेतु प्रस्तुत करना होगा. प्रशासनिक पत्तनों को दिनांक **31.10.2024** को या उससे पहले उम्मीदवारों के आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ लिफाफे में भरकर लिफाफे पर **"मुंबई पत्तन प्राधिकरण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए आवेदन"** इस प्रकार लिखकर अग्रेषित करने होंगे:

(i) पिछले 5 वर्षों की (1.4.2018 से 31.3.2023 तक) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ, उप विभागप्रमुख स्तर से जो नीचे न हो ऐसे अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करके;

(ii) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा ग्रेडिंग दर्शानेवाला विवरण जो मंत्रालय के दिनांक 1.2.2007 के पत्र के अनुसार उपाध्यक्ष/अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न हो, तो उसके बारे में "रिपोर्ट नहीं है का प्रमाणपत्र" पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत किया जाए;

(iii) सभी प्रमाणपत्रों तथा शैक्षणिक अर्हता के प्रमाणों तथा संबंधित पद एवं वेतनमान में वर्तमान तथा पिछले कार्य के अनुभव की सत्यापित फोटोकॉपियाँ.

(iv) संबंधित पत्तन से अनापत्ति प्रमाण पत्र.

(v) आवेदक को इस आशय का प्रतिज्ञापत्र देना होगा कि यदि सेवा चयन समिति द्वारा चयन किया गया, तो वह अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेगा, तथा

(vi) संलग्न प्रोफार्मा (**अनुलग्नक-II**) के अनुसार संबंधित पत्तन की सतर्कता और प्रशासनिक अनापत्तियाँ;

(vii) दो पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ.

5.1 पत्तन द्वारा किसी भी आवेदक के संबंध में आवेदन की अग्रिम प्रति प्राप्त होने के मामले में मंत्रालय के दिनांक 26.9.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि उसका आवेदन पत्तन द्वारा उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के **15 दिनों के भीतर** तक प्राप्त नहीं हुआ तो मंत्रालय द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा.

5.2 आगे, मंत्रालय ने अपने दिनांकित 26.9.2019 के पूर्व दिशानिर्देशों के क्रम में दिनांकित 20.9.2022 के पत्र द्वारा महा पत्तन प्राधिकरणों में विभागप्रमुख स्तर के पदों को भरने संबंधी एक परामर्श जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि :

"इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि कतिपय कागजातों जैसे उम्मीदवार की सतर्कता अनापत्ति, वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिर्पोटों को प्राप्त करने में प्रशासनिक औपचारिकताओं के कारण कुछ समय लग सकता है. ऐसी परिस्थिति में, जिस पत्तन ने विज्ञापन दिया है उसको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले आवेदन भेजनेवाले पत्तनों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ (अर्थात उचित माध्यम से) अधिकारी का आवेदन अग्रेषित करना जरुरी है. ऐसे उचित माध्यमों से प्राप्त आवेदनों पर (वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों, सतर्कता अनापत्तियाँ आदि के बिना भी) विभाग प्रमुख स्तर के पदों पर नियुक्ति करने हेतु मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा तथापि चयन समिति द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार किए जाने के लिए, पत्तनों को बिना अनावश्यक विलंब के शेष कागजातों को अग्रेषित करना जरुरी है.

ऐसे कई उदाहरण है, जिसमें पत्तन आखरी क्षणों में उम्मीदवारों के आवेदन अग्रेषित करते हैं. अत: जिसने विज्ञापन दिया है, उस पत्तन को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले ऐसे आवेदन पहुँच पाना असंभव होता है. ऐसे मामलों में, पत्तनों को चाहिए कि वे उसका आवेदन (उचित माध्यम से, अर्थात ओएपी आवेदन की प्रिंट आउट के साथ पत्तन के अग्रेषण सहित) ई-मेल के जरिए

भेज दें ताकि उस पद के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार किया जा सके. बाद में, अन्य कागजातों के साथ पत्तन उम्मीदवार का संपूर्ण आवेदन जिस पत्तन ने विज्ञापन दिया है उसे पंजीकृत डाक से अग्रेषित करे."

6. पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 26.9.2019 की पत्र सं.I-26/25/2013 पीई-I के संदर्भ में पात्रता मानदण्ड के लिए निर्णायक तिथि, ओएपी पर आवेदन करने कि अंतिम तिथि अर्थात **16.10.2024** होगी.

7. यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बडा या मामूली दण्ड लगाया गया है तो ऐसे परिणामी दण्ड का अनुशासनिक मामला आवश्यक कागजपत्रों सहित अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा आवेदन के साथ भेजा जाए. मंत्रालय के दिनांक 20.1.2021 की पत्र सं.A-12023/2/2021-पीई.I के तहत सतर्कता रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी है, जिसकी प्रति **अनुलग्नक -III** में संलग्न है.

8. महा पत्तन प्राधिकरणों में विभाग प्रमुख स्तर के पदों को भरने के संबंध में, मंत्रालय के दिनांक 26.9.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार पत्तन का अधिकारी यदि सेवा चयन समिति द्वारा अपने चयन होने के बाद पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है तो उस पर भविष्य में दो वर्षों के लिए सभी महा पत्तन प्राधिकरणों में विभाग प्रमुख स्तर के पदों पर चयन के लिए रोक लगायी जा सकती है.

9. अपूर्ण आवेदन या बगैर निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के आवेदनों या नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा.

भवदीय,

(गि. सिं. राठौड)
प्रबंधक (मानव संसाधन)

संलग्न: यथोक्त.

सितंबर 2024

चिकित्सा विभाग

अनुलग्नक -I

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	पद चयन या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु (ख) शैक्षिक योग्यताएँ (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पध्दति (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में भर्ती किस श्रेणी से की जानी है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1	श्रेणी - I	रुपये 100000-260000 (केंद्र सरकार के अनुमोदन के साथ तीन साल की नियमित सेवा के बाद वेतनमान को रुपये 120000-280000 के वेतन के स्तर तक बढाया जाएगा.)	चयन	50	अनिवार्य : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. डिग्री (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री (iii) किसी अस्पताल में 16 वर्षों का पद योग्यता अनुभव	ए) नहीं बी) हाँ सी) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पध्दति के जरिए **विलयन द्वारा** अन्यथा **प्रतिनियुक्ति द्वारा** और दोनों न होने पर **सीधी भर्ती से**	सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए, किसी महा पत्तन न्यास के चिकित्सा विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80000-220000 रु के वेतनमान में पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे. प्रतिनियुक्ति के लिये समान पदधारी अधिकारी अथवा 100000-260000 के वेतनमान में चिकित्सा विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा समान पदधारी जिसने उसी ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा 80000-220000 और इससे अधिक वेतनमान में वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओर समान विशेषज्ञ पदधारी अधिकारी जिसने सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में	

											(महा पत्तन न्यास के अलावा) 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो वह पात्र होगा. चयन गुणवत्ता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में संम्पूर्ण सेवा काल में बेंच मार्क "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए.	

अनुलग्नक-II

कार्यालय प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती -------------------------

पद --------------------------------

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण सही है.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का कोई भी मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.

3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.

4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो, तो कृपया उसका विवरण दें.

5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2018 से 31.3.2023) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि पदधारी मिश्रित पध्दति के माध्यम से समावेशण संबंधित भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता और अनुभव आदि की अपेक्षित पात्रता के मानदण्डों को पूरा करता है.

उपाध्यक्ष/ अध्यक्ष के हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

अनुलग्नक III

फॉर्मेट-III

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

MUMBAI PORT AUTHORITY

अधिकारी का विवरण, जिनके सतर्कता टिप्पणियाँ/स्थिति मांगी गई है.

1.	अधिकारी का नाम (संपूर्ण)	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	जन्म तिथि	:	
4.	सेवा निवृत्ति की तिथि	:	
5.	सेवा प्रवेश की तिथि	:	
6.	अधिकारी के सेवा से संबंधित वर्ग/वर्ष, संवर्ग आदि जो भी लागू है	:	
7.	संशोधित वेतनमान	:	
8.	क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत की है	:	हाँ/नहीं
9.	वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि	:	
10.	धारण किए गए पद में अधिकारी ने अंशकालिक या अतिरिक्त प्रभार में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य किया यह शामिल है (पिछले दस वर्षों के दौरान)	:	

अ.क्र.	संगठन (संपूर्ण नाम)	पदनाम एवं नियुक्ति का स्थान	संबंधित प्रशासनिक/प्रधान मंत्रालय/विभाग	द्वारा	तक

11.	क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी, और यदि हाँ, तो आरोप लगाने की तिथि और दण्ड का विवरण(*).	:	
12.	क्या आज की तिथि को अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि हाँ, तो आयोग द्वारा यदि कोई संदर्भ संख्या तो तिथि के अनुसार दी गई हो उसके साथ विस्तृत विवण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
13.	क्या अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई है (यदि हा, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
14.	क्या सतर्कता की दृष्टि से अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई शिकारयत लंबित है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.	:	

तिथि :

(विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)

15.	यदि अधिकारी को "सहमत सूची" अथवा "संदिग्ध इमानदारी के अधिकारियों की सूची" पर रखा गया (यदि हां, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए)	:	
16.	यदि सतर्कता की दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में अधिकारी के खिलाफ दुराचार का आरोप की जाँच की गयी थी. यदि हां तो उसका परिणाम क्या है.(*)	:	

आवेदित पद विभाग प्रमुख के स्तर का चयन पद होने के कारण, उक्त अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार. सतर्कता दृष्टि से निर्बाध है/ निर्बाध नहीं है.

तिथि :

(मुख्य सतर्कता अधिकारी)

(*) यदि अतीत में मंत्रालय/सीवीसी से सतर्कता मंजूरी प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधिके लिए जानकारी प्रदान की जा सकती है.